



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-04.07.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर में एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 100/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-699/2023 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मिन्टू राम पुत्र रामजी राम निवासी उतही थाना बलुआ जनपद चंदौली को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-03.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-06 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त मिन्टू राम उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (06 माह 15 दिन) व 100/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।